

**The National Commission for Minority Educational Institutions
(Amendment) Bill, 2010**

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I just want to make a general statement. The National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, in a sense, was looking at our experience, over the years, in respect to minority educational institutions that were set up in this country. In the context of that experience, we realized that certain protections were required to be given to minority educational institutions. As you know, many of these institutions are set up in States and there were certain procedural handicaps that came in the way of the running of these institutions. So, we thought it was important to set up at the national level an adjudicating authority, a body which would really provide a forum for consideration of many of the matters that came up while educational institutions set up by minorities are being run. It is that experience that led to certificates being granted by the National Commission for Minority Educational Institutions from time to time. This led to some amendments in 2006 and now because of our experience since 2004, there are four broad amendments that have been proposed under this Amendment Bill.

The first deals with the definition of educational institutions. Sir, in the original Act, an educational institution by definition did not include a university. Minority educational institution under Section 2 (g) of the original Act meant a college or institution other than a university. So, to that extent, the adjudicating authority power was limited to as it could not deal with issues dealing with universities set up by minorities. As you know, Sir, there are three ways of setting up a university in this country. One is through an Act of Parliament, like the Aligarh Muslim University Act. The other is through an Act of the State Legislature. There is, of course, a third breed of institutions which we call 'deemed to be university'. These deemed to be universities can be universities set up at the instance of the State with funding from the State. There also can be institutions set up by the private sector including minority educational institutions. There is, of course, a fourth category, namely, institutions that were set up prior to the Constitution by the minority communities which will continue to have the protection of their minority status. We are aware of some of those universities. The Jamia Millia Islamia is a university that was set up prior to the Constitution. There are certain other such instances like the Allahabad Agricultural University, the Jamia Hamdard. So there is that category of institutions also.

So, we thought that in order to comprehensively deal with this issue, it is important for us to expand the definition of 'educational institutions'. Therefore, by virtue of this Amendment, we have removed that inhibition of 'other than a university', which was a part of the original definition

of educational institutions, to ensure that the Authority here under this Act is also entitled to deal just not with schools and colleges but also with Universities that have been set up, whether they have been given a Deemed-to-be-University status or otherwise, for the protection of minorities under Article 30 of the Constitution. That is one part of it.

The other part of it is the fact that educational institution, under article 30, is not an inhibitive definition because Article 30 talks of 'Minorities having the right to establish and administer educational institutions of their choice. Educational institutions under Article 30 includes all kinds of institutions, including universities.' That has been held under the TMA Pai case. Therefore, there was no reason originally to have excluded universities from the ambit of the Act. So, we thought that it was important for us to give that protection and extend that protection also to universities. Therefore, that is really one of the substantive amendments that have been made. Sir, we also found that the workload of the Commission had increased exponentially over a period of time. Therefore, it was also important to increase the number of members. Originally, it was 1+2. Now it is 1+3. So, we have also increased the number of members of the Commission. That is another Amendment which has been moved.

The third substantive Amendment, that has been moved, relates to Section 10. Many of the problems that have arisen qua minority institutions in several States are that States require a No Objection Certificate before allowing such an institution to be set up. And, we found, as a matter of experience in some States, that the Governments concerned were not willing to actually deal with and grant a No Objection Certificate. So, in a sense, there was an obstacle set in the way of the desire of the minorities to set up institutions because the State Governments did not grant these No Objections and would also not communicate with institutions as to why No Objections were not being granted. And, in many of those States, there is no such law which requires certain set parameters on the basis of which a No Objection should be granted or should not be granted. So, we thought that if a State Government wants a minority institution to apply for a No Objection, then, it should, actually, legislate on the subject. In other words, it should have a law in place which will set out what the reasons are as to why a No Objection will be given and under what circumstances a No Objection will not be given so that the institution and the minority, which is wishing to set up an institution, knows under what circumstances a No Objection will not be given.

So, the law becomes more certain, and there is a statutory obligation also on the State Government to actually refuse or give a No Objection within a certain period of time. That makes the process more certain. Therefore, in the event, the State Government, under the law, does not give a No Objection, then, certainly, there can be recourse to a court of law as well as this Commission. Therefore, the substantive change is that previously, in the absence of a law, the No Objection had to be obtained. Now, under the new Amendment, unless there is a law, the No Objection will, automatically, be given. This ensures that State Governments, who are

serious about the circumstances in which the No Objection should be given, should have a law on the subject, to ensure certainty. That is really the purpose of this Amendment. This is the third substantive Amendment that we have moved. And the fourth is also a very significant amendment.

As you know, there is an appeal provision under the Act. Under the appeal provision, the authority which has refused to grant no-objection is naturally in conflict with the minority which is wanting to set up the institution and the State Government, of course, is a party. What used to happen was that under the law, the Commission could only hear the matter in appeal in consultation with the State Government. Now, we really do not understand that when there is a lis between the parties, between the minority institutions and the State Government, how is the adjudicatory authority in appeal is to consult the State Government with which the minority community has a lis before an order can be passed. We found this to be totally anachronistic and contrary to all principles of natural justice, that an entity which has refused or, at the instance of which, a no objection is not granted, must be consulted before the appeal can be heard. This is unthinkable.

So, the fourth substantive amendment is that we have removed the consultation process and, of course, now the appeal can be heard and while the appeal is being heard, the competent authority which has refused the no-objection and the State Government will be parties before the Commission and the State Government's view will be put up before the Commission and the Commission, then, of course, will take a decision. So, this is the 4th substantive amendment that we have moved. I, therefore, feel that it is time for us — especially in the context of the fact that education is directly linked with empowerment — India is standing at the threshold of a revolution in terms of which we will require more and more institutions to come up, both by the majority community and the minority community — that we need to expand the sector exponentially. I believe, Sir, in the next ten-fifteen years, we will require about a thousand more universities and about 40,000 odd colleges and under the new regime that we are coming up with, the private sector will exponentially expand and, hopefully, the concept of deemed universities will go and private entities, minority communities and others will be allowed to set up institutions, including the majority community.

Therefore, if we want the expansion of this sector, we must also expand the jurisdiction of entities which deal with disputes. Various kinds of disputes are going to come up. Therefore, if we want to really fulfil the wishes and empower our people and I mean people in all categories with no exclusion — empower our minorities, empower our dalits, empower the backward communities, empower the poor in the forward communities, empower all — if that is going to be the inclusive agenda in education, then, it is necessary that the jurisdiction of the Commission that we have must also be expanded and more and more opportunities should be given to all sections of society to set up educational institutions because that is the only way in which our

communities will be able to empower themselves and we will get the kind of inclusive development agenda, that this country is moving on. I think that really is the spirit behind these amendments.

I, therefore, commend these amendments to the hon. Members of this House.

The question was proposed.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय। National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2010 के बारे में माननीय मंत्री जी ने थोड़ा संक्षेप में बताया। कांग्रेस पार्टी को और इस सरकार को लगभग 60 साल लग गए कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक क्षेत्र में सशक्तीकरण के लिए, उनके सरोकार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कुछ सोचा जाए। लेकिन, माननीय उपसभापति महोदय, यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो बिल है, यह सशक्तीकरण या empowerment के लिए नहीं, बल्कि यह confusion ज्यादा पैदा कर रहा है। यह confusion का एक पुलिंदा है। आज अल्पसंख्यक mainstream education के बगैर progress की mainstream में शामिल नहीं हो सकते, यह हमारा भी मानना है और इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों का यह मत है। यह बात सच है कि पिछले 60-62 वर्षों में शैक्षणिक क्षेत्रों में कहीं-न-कहीं अल्पसंख्यकों की उससे दूरी बनी है और वे मुख्यधारा की शिक्षा से दूर हुए हैं।

यहां पर माइनॉरिटीज की शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बात हो रही है। साउथ इंडिया में, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि में अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वे अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाएं, तो वहां जो शैक्षणिक संस्थान थे, आज वहां कहीं पर मॉल बन गए हैं, कहीं मार्केट बन गई है और वे संस्थान बंद हो चुके हैं मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने जब इस विषय पर चर्चा की होगी, तब उनके ध्यान में भी यह बात आई होगी। ऐसे शिक्षा संस्थानों की जगह मदरसों ने ले ली है। हिन्दुस्तान के रिकॉर्ड पर भारत में 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं, लेकिन रिकॉर्ड के बाहर तो यहां 3 लाख से भी ज्यादा मदरसे होंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण कमीशन को गठित करने की दिशा में जा रहे हैं। इस संबंध में आपने राज्यों के अधिकार को भी खत्म कर दिया है और आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं रहेगा। आपका कहना है कि यह कमीशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और माइनॉरिटीज के एजुकेशनल एमपावरमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उस क्रौम की शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहां 10 प्रतिशत से कम लोग ग्रेजुएट, मैट्रिक या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, यानी 90 प्रतिशत लोग शिक्षित ही नहीं हैं। यह जो बिल आप ला रहे हैं, यह उस समाज के बारे में ला रहे हैं, जहां 25 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने स्कूल या कॉलेजों की दहलीज पर कदम ही नहीं रखा है। 16 प्रतिशत तो केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक ही इस देश में हैं। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, जहां पर शैक्षणिक क्षेत्र में देश में सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। सर्व शिक्षा अभियान अथवा शिक्षा के अधिकार के माध्यम से आपने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन प्रयासों की रेशनी और उन प्रयासों की किरणें उन तक नहीं पहुंची हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि वे लोग मदरसों में ही जाते हैं और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन मदरसों में कैसी शिक्षा होती है, उसके बारे में मुझे इस सदन में बताने की जरूरत नहीं है। उन मदरसों की शिक्षा से कोई मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं पहुंच सकता, उन मदरसों की शिक्षा से कोई रोजगार नहीं पा सकता, कोई मल्टीनैशनल कंपनी उनको रोजगार नहीं दे सकती।

उपसभापति महोदय, इसका नतीजा यह है कि इस देश में आज जो 16 प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनमें 3 प्रतिशत से भी कम आईएस हैं, 1 प्रतिशत आईएस हैं, 4 प्रतिशत से कम रेलवे सर्विसिज़ में हैं,

6 प्रतिशत से कम स्वास्थ्य सेवाओं में हैं और 6 प्रतिशत से कम ही निजी संस्थाओं में हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा से जुड़े हुए उतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर और अधिक कंप्यूजन रहेगा, तो यह प्रतिशत और भी नीचे आएगा।

आज मदरसों को इससे अलग रखा गया है और कहा जा रहा है कि मदरसों के लिए एक बोर्ड बनेगा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, खास तौर से जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, माननीय मंत्री जी ने उन लोगों को बुला कर बात की। मेरा अपना खयाल है कि जब हम इस तरह के किसी रिफॉर्म की बात करते हैं और जब हम यह कहते हैं कि यह कदम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण या इम्पावरमेंट के लिए उठा रहे हैं, अगर उसमें कंप्यूजन पैदा होता है, तो वह इम्पावरमेंट की तरफ न ले जा करके और पिछड़ेपन की तरफ ले जाता है।

सर, 1857 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। उस वक्त अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों को मूल शिक्षा से दूर कर रखा था और उसके विरोध स्वरूप सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन किया था। उस वक्त बहुत से कट्टरपंथी मुसलमानों ने उसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि यह नहीं होना चाहिए, यहाँ तो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, ऐसी शिक्षा होगी और धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। शुरुआती दौर में मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा हूँ जो एक मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पर एक सब्जेक्ट दीनयात का होता था और उसके अलावा वहाँ सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। उसके बाद मैंने यह महसूस किया कि अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रास्ते में रखेंगे तो निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज मुख्य धारा की शिक्षा में जाएगा। मैंने इसीलिए मदरसे का नाम दोबारा लेकर माननीय मंत्री जी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया। मैं उस पर ज़ोर देना चाहता हूँ क्योंकि आज देश में क्या माहौल है? कहा जाता है कि मदरसों से जेहादी पैदा हो रहे हैं। आज देश में क्या माहौल है? यूरोपियन कंट्रीज क्या कहती हैं?...**(व्यवधान)**... यूरोपियन कंट्रीज क्या आरोप लगाती हैं? ...**(व्यवधान)**... मेरा कहना है कि मदरसों के बारे में इस बिल में क्या है, इस बिल में कौन सी जगह पर लिखा है? आज माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस की आप क्या बात कर रहे हैं? आज जहाँ इस देश में तीन लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हों, एक-एक कमरे में माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हों, उनमें आप एक इतना बड़ा आयोग बना देंगे और उसके बाद कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें ज्यादा दखल करने का कोई हक नहीं है, इसमें तीन लोगों की यह कमेटी होगी तथा ये तीन मैम्बर्स तय करेंगे कि कौन माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन है और कौन माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है।

माननीय उपसभापति महोदय, शिक्षा राज्य का सब्जेक्ट है। माननीय मंत्री जी एक काबिल वकील भी हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। आपके पास ऐसी कौन सी मशीनरी है या आपके पास ऐसा कौन सा तंत्र है जिससे आप यह तय कर सकेंगे कि अमुक शिक्षण संस्थान माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं? ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर आपके पास बैठ हुआ है? तीन लोगों की यह जो कमेटी आप बना रहे हैं, उनके पास ऐसा कौन सा टीथ है और उनके पास कैसे यह अधिकार है कि वे यह तय करेंगे कि किस स्टेट में इतने माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं या इस स्टेट में इतने माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं? इसके लिए आप एक इंस्पेक्टर और डाल देंगे तथा वह इंस्पेक्टर तय करेगा कि यह ऐसा माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिसको खत्म कर दो या यह ऐसा माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिसको चलने दो। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। State Government is one of the parties, अगर कहीं कंप्यूजन होगा या कहीं पर विवाद होगा। State Government is one of the parties का क्या मतलब होता है? आज जब शिक्षा राज्य का सब्जेक्ट है और अगर विवाद हुआ तो उसमें आप राज्य सरकार को भी एक पार्टी बना देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपके तीन लोगों का जो so-called commission बनेगा वह यह तय करेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, एक जस्टिस सिद्धिकी कमेटी बनी थी। उसने शिक्षा के बारे में और मदरसों के बारे में अपने अलग-अलग सुझाव सरकार को दिए थे। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से

उसकी जानकारी होगी। मदरसों के जो दकियानूसी हालात हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी और कहा था कि इन मदरसों को भी मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। एन.डी.ए. के समय में इसकी शुरुआत भी हुई थी। इन मदरसों को भी मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से जोड़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएँ एन.डी.ए. के शासनकाल में दी गई थीं। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है जो कि इस पूरे के पूरे बिल पर एक कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, उनका इसी बात पर एक शेर मैं माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूँ:

बच्चे हमारे भूख के सदमे उठाते हैं,
मायूसियों को देख के आंसू बहते हैं।
काबिल भी हैं पर अपने को मजबूर पाते हैं,
कहने में शर्म है कि मदरसे में जाते हैं।

हम इसलिए यह बात कह रहे हैं कि आपको यह लग रहा होगा कि मदरसा और minority institutions का इससे क्या मतलब है। आप जैसे काबिल आदमी को हो सकता है कि यह मतलब समझ में न आ रहा हो, लेकिन मेरे जैसे छोटे आदमी को, जो कि लोगों के बीच में रहता है, उसे समझ में आ रहा है। आज यह समझ में आ रहा है कि एक district में minority institution एक भी नहीं होगा, लेकिन मदरसे कम से कम एक हजार होंगे। उन मदरसों में बच्चे जाकर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। आपका जो शिक्षा का अधिकार है, उनमें वे किसी तरह से मददगार साबित नहीं हो रहा है और उन मदरसों से शिक्षा लेकर बच्चा खड़ा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि minorities का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनके educational empowerment के लिए हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। क्या मदरसों से empowerment होगा? आप इस पूरे के पूरे दस्तावेज में उसका कहीं जिक्र ही नहीं करते, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं करते, आप कहते ही नहीं कि ऐसा भी हो रहा है, यह भी कोई चीज है।

उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज शिक्षा के क्षेत्र में minorities की क्या स्थिति है। मैं मुस्लिम minorities की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनमें 16-17 प्रतिशत मुस्लिम minorities हैं। उनमें कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नकवी साहब, आपकी पार्टी के ...**(व्यवधान)**... दो और स्पीकर्स बोलने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : आपने एक और इंस्पेक्टर राज खड़ा कर दिया है। आपने एक ऐसा इंस्पेक्टर राज खड़ा किया है कि उन्हें जो कुछ शिक्षा मिल भी रही थी, वे दुकानें भी बन्द हो जाएंगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह कि इस पूरे बिल में मदरसों का क्या रोल होगा, मदरसे इसके दायरे में कैसे आएंगे, मदरसों पर किस तरह से रेगुलेशन या निगरानी होगी और किस तरह से उन्हें एजुकेशन की मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश हो सकेगी? दूसरी चीज यह है कि आपने कहा है कि इसमें राज्य सरकारों का दखल लगभग नहीं होगा, वह ठीक नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर हम कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है और इसमें संशोधन होना चाहिए। तीसरी चीज, आपने यह कहा कि इसमें तीन मैम्बर्स होंगे। पहले इसमें दो थे, फिर आपने तीन किये, यह बिल्कुल गलत है। अगर आपको इसके बारे में आगे कुछ कदम उठाना है तो इसमें कम से कम 5-6 से ज्यादा मैम्बर्स होने चाहिए। आपके इस बिल में संशोधन का जो यह वर्तमान स्वरूप है, हम इसके खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे बिल में आपने कमीशन के अधिकार, उसके पास किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से वह minority institutions को जांचेगा, परखेगा, इसको स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो उसमें कुछ कर नहीं सकती। ये सारी चीजें हैं।

मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा,

*यूं ही बातों में अगर वक्त गुजर जाएगा,
इल्म की प्यास से कुचला हुआ मर जाएगा।*

इसलिए बातचीत तो बहुत हो गयी। यह होते हुए 60-62 साल हो गये। मुझे लगता है कि अब कुछ करने का वक्त है। अगर minorities के educational empowerment के लिए यह सरकार ईमानदारी से कुछ करना चाहती है तो उसे वास्तविकता को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतारना चाहिए। आपने ये जो सारे संशोधन किए हैं, इनसे confusion पैदा होगा, इनसे किसी तरह का सशक्तिकरण नहीं होगा। यही बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तराखंड): धन्यवाद उपसभापति महोदय। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 हमारे विचार के लिए सामने है और मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्रीमान्, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधताएँ हैं।

इन विविधताओं ने इस देश को विरासत में एक विशिष्ट चरित्र दिया है, एक विशिष्ट दर्जा किया है। विश्व के अर्थशास्त्री हों या नेतागण हों, भारत की इस विशिष्टता पर वे भी आश्चर्यचकित और अचम्बित हैं और इसको भारत की एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं। लेकिन जहाँ ये विविधताएँ हमारे देश की ताकत और शक्ति है, हमारी विशिष्टताएँ हैं, वहीं कभी-कभी इन विविधताओं से उत्पन्न नई विसंगतियों के कारण हमारे सामने प्रशासनिक और कानूनी समस्याएँ भी पैदा होती हैं।

श्रीमान्, इस देश के अल्पसंख्यकों की एक बड़ी तादाद है और वे केवल मुस्लिम तक सीमित नहीं हैं, वे केवल जैन तक सीमित नहीं हैं, वे केवल क्रिश्चन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें बहुत सारे समाज हैं। उनमें पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ऐसे अनेक समाज हैं, जो अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत इन अल्पसंख्यक समानों के अधिकारों की गारंटी है और इस गारंटी में यह बात भी शामिल है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए अपनी संस्थाओं को स्थापित कर सकें, संचालित कर सकें और उन शिक्षा संस्थाओं को संचालित करने के लिए एक विधि व्यवस्था मौजूद है। शायद इसी दृष्टिकोण और इसी जरूरत को महसूस करते हुए 2004 में इस संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा हमारे यहाँ, “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004” के द्वारा, एक कानून स्थापित किया गया। इस कानून के तहत अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं और उनसे उत्पन्न हुई समस्याओं तथा उनके अंतर्गत आने वाली विसंगतियों के संबंध में इस आयोग को अधिकार दिया गया कि वह केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकता है। जहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या उन्हें वंचित किया जा रहा हो, ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार भी इस आयोग को दिया गया। अगर कहीं इन संस्थाओं से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण चल रहे हों, तो उन संस्थाओं के न्यायालीन प्रकरण में भी यह आयोग हस्तक्षेप कर सकता है, उसमें intervene भी कर सकता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को संरक्षण देने और उनको प्रभावी तरीके से अमलीजामा पहनाने, इत्यादि की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इस अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग के हाथ में सौंपी गईं।

विगत चार साल के अनुभव के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो विविधताएँ हमारी शक्ति हैं, उनमें से एक विविधता हमारी समस्या बन गई है। लोकतंत्र का तकाजा है कि इस देश के विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों की सरकारें हैं। यह अनुभव हुआ कि कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने इस अधिनियम के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों के संबंध में या तो सक्रियता नहीं दिखाई या किसी विशिष्ट विचारधारा के होने के कारण कुछ अल्पसंख्यक वर्गों के विरुद्ध उनके मन में एक bias उत्पन्न हुआ। उनके शिक्षण संस्थाओं के स्थापित करने से लेकर संचालित करने और उनका संवर्धन

करने के मामले में राज्य सरकारों का जो रवैया था, वह बहुत असहयोगपूर्ण और असहानुभूतिपूर्ण पाया गया। इस संबंध में समय-समय पर, राज्य सरकारों से और राज्यों के अन्य NGOs से, विभिन्न संस्थानों से और व्यक्तिगत रूप से उन संस्थाओं से जो अल्पसंख्यक संस्थानों को संचालित करने वाले लोग हैं, अनेक शिकायतें यहां पर भेजीं। अंत में, इसके ऊपर समग्र रूप से चिंतन करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की स्थाई समिति के सम्मुख सारी सामग्री, सारे साक्ष्य तथा सारे तथ्य रखे गए। और अंततः उसकी सिफारिश के आधार पर इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव यहां लाया गया और इसमें मूलतः चार संशोधन करने का प्रस्ताव है। जैसा मैंने आपसे कहा, पहला संशोधन इस बात का है कि इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में एक आदेश दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए धारा 2 के क्लॉज जी में एक संशोधन किया गया है, जिसमें पहले व्यवस्था थी कि किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को, शिक्षण संस्था की जो परिभाषा है, स्थापित या अनुरक्षित, उसे शिक्षण संस्था माना जाएगा। इसमें संशोधन करके यह किया गया है कि अब यह “स्थापित और प्रशासित”, इन शब्दों से इसको वैकल्पिक रूप से बदला जाए, जिससे कि उन शिक्षण संस्थाओं को पूरी तरह से इसका लाभ मिल सके, वरना इस कमजोरी का लाभ बहुत सारी जगहों पर उठाया जा रहा था और वे शिक्षण संस्थाएं समुचित ढंग से संचालित नहीं हो पा रही थीं।

श्रीमन्, यहां पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा में भी विसंगति थी और उसको स्पष्ट करने की दृष्टि से एक छोटा संशोधन उसमें लाया है। पहले इसके अंदर विश्वविद्यालय शब्द के अलावा अन्य जो संस्थाएं थीं, चाहे वह कॉलेज हो या स्कूल हो, उनको शिक्षण संस्था माना जाता था, यानी प्रभाव यह होता था कि अल्पसंख्यक अपने लिए कॉलेज तो खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं लेकिन विश्वविद्यालय या Deemed University वे अगर चाहें भी, तो नहीं खोल सकते हैं। केंद्र सरकार नहीं खोलने जा रही है। राज्य सरकारें नहीं खोलने जा रही हैं, लेकिन वे शिक्षण संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं अपने लिए खोलना चाहते हैं, वह University हो या Deemed University हो, उन संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार उनको होना चाहिए, यह स्वाभाविक है और अभी तक उसमें इस बात पर रोक लगी हुई थी। इस रोक को हटाना, मैं समझता हूं कि सरकार ने एक बहुत समीचीन कदम उठाया है और उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं। अगर सरकार न भी खोले तो अब कम से कम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी संस्थाएं स्वयं स्थापित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय स्तर तक की संस्थाओं को स्थापित करने से उनको न कोई कानून रोक सकेगा, न कोई सरकार रोक सकेगी- यह व्यवस्था की गई।

श्रीमन्, जो दूसरा संशोधन किया गया था, वह एक बहुत छोटा सा संशोधन है। इस आयोग में अभी तक अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य और हुआ करते थे। यह महसूस किया गया कि इस आयोग में एक और सदस्य बढ़ाया जा सके, जिससे कि इस आयोग को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों के पूरा करने में, इन जिम्मेदारियों को निभाने में उसको सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी, तो यह एक छोटा संशोधन है, 2 से 3 सदस्यों का, इसमें एक ही संख्या और बढ़ा दी जाए।

श्रीमन्, धारा 10(1) के अंतर्गत एक प्रावधान यहां था, उस प्रावधान के तहत होता यह था कि बहुत सारी राज्य सरकारों का, जिनका मैंने जिक्र पहले किया विभिन्न कारणों से, चाहे वे कारण राजनीतिक रहे हों या अन्य रहे हों, बहुत सारे राज्यों ने अपने यहां पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से संबंधित कोई नियम नहीं बनाए, कोई कानून नहीं बनाए और जब भी ऐसी संस्थाएं आवेदन करती थीं या ऐसे लोग आवेदन करते थे, शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के लिए, तो ऐसे आवेदन कानून न होने के बहाने से वर्षों तक राज्य सरकारों के पास लंबित पड़े रहते थे और उनके ऊपर कोई फैसला ही नहीं लिया जाता था। जब फैसला ही नहीं लिया जाएगा, कानून ही नहीं होगा, तो इस बहाने से अल्पसंख्यक समुदाय को उन शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने से वंचित किया जाता था। अब इसमें यह संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करने के बाद एक राज्य सरकार के लिए स्वयं यह आवश्यक हो जाएगा कि वह अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में एक विस्तृत कानून बनाए और उस कानून में अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार...अभी मुख्तार भाई कह रहे

थे कि राज्य सरकारों को इससे पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। वे बेचारे अभी चले गए हैं, क्या करें? उन्होंने अगर इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लिया होता, competent authority कौन है? आज भी, इस संशोधन के बाद भी ज़रा ध्यान से पढ़ लेते, तो वे यह न कहते।

इस संशोधन के बाद आज भी no objection certificate या अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अधिकार राज्य सरकारों के ही पास होगा। Competent Authority आज भी राज्य सरकार ही होगी। इसलिए राज्य सरकार से सारे अधिकार छीन लिए गए हों, ऐसा कहना सरासर गलत है, यह उचित नहीं है। Competent authority वहीं होंगी, हां, इतना जरूर है, जैसा कि मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि अगर कोई राज्य सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्था को अनुमति देने से इंकार कर दे, तो वह संस्था कमीशन के सामने, आयोग के सामने जाकर अपील कर सकती है। लेकिन जो राज्य सरकार उस संस्था को स्थापित करने के लिए अनुमति देने से इंकार कर रही है, वहीं आयोग अगर राज्य सरकार से consultation करेगा या उनसे परामर्श लेगा तो क्या परामर्श आएगा? स्वाभाविक है कि राज्य सरकार का परामर्श यही आएगा कि यह संस्था खोले जाने के योग्य नहीं है, इसको न खोला जाए। कमीशन का वह जो निर्णय होगा, वह निर्णय पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, वह न्यायपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए यह जरूरी था कि राज्य सरकार के consultation के लिए इसमें जो प्रावधान रखा गया था, उस प्रावधान को समाप्त किया जाए। राज्य सरकार स्वतः जब एक पार्टी बन जाएगी तो उससे परामर्श करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए राज्य सरकार को उससे दूर करने का जो संशोधन धारा 10(1) के अंतर्गत लाया गया है, वह बिल्कुल उचित है।

मुझे इसमें एक शंका है और मैं मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने राज्य सरकारों को यह अधिकार तो दे दिया कि वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में अपने यहां पर एक कानून बनाएं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसी राज्य सरकारें जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुर्भावना रखती हैं या ऐसी राज्य सरकारें जो अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं को विकसित होने से रोकना चाहती हैं, वे अपने यहां के कानून में अगर कुछ इस क्रिस्म के प्रावधान रख दें, जिनसे कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना और अधिक कठिन हो जाए, फिर उस मामले में यह आपका जो प्रावधान है, जिसके तहत 10 (1) में जो संशोधन किया है, यह अल्पसंख्यक संस्थाओं की मदद करने के बजाए उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कानून के मामलों में या इस धारा के मामले में स्पष्ट होना चाहिए। कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मूलतः संसद द्वारा पारित जो कानून है, उस कानून की मूल भावना के विपरीत राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सके। इस पर एक रोक होनी चाहिए और इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे कि वह इस अधिनियम की मूल भावना के विपरीत कोई कानून न बना सके।

आखिर में वही बात है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि चूंकि कोई औचित्य नहीं था राज्य सरकार को इसमें परामर्श के लिए रखने का, तो धारा 12(बी) के अंतर्गत, उसकी उपधारा IV में संशोधन किया गया है। इस तरह से स्पष्ट है कि इन संशोधनों से वे विसंगतियां दूर हो सकेंगी, जो पिछले चार वर्षों में हमारे अनुभव में आईं और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए और अधिक सशक्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए यह संशोधन विधेयक यहां लाया गया। इसका हम स्वागत करते हैं और आम तौर पर इस देश में लोग इसका स्वागत करेंगे। हां, कुछ चंद लोग हैं, जिनको हम कितना भी समझाएं, कितना भी मनाने की कोशिश करें, पर उनकी विचारधारा और उनकी दुर्भावनाओं की दुर्गंध कभी दूर होने वाली नहीं है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो शक्तियां हैं और ऐसी शक्तियों से संचालित जो सरकारें हैं, उन सरकारों को मनमानी न हो सके, इसीलिए यह संशोधन लाया गया है। इससे अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा के मामले में, संस्थाओं को चलाने, स्थापित करने और संचालित करने में सुविधा होगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

6.00 P.M.

श्री सालिम अन्सारी (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) बिल, 2010 बड़ी सावधानी के साथ पेश किया है, इस पर हमारे कुछ साथियों ने चर्चा की। दोस्तों, माननीय मंत्री जी का जो यह बिल है, इसका मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया, जिसको लोक सभा ने पारित भी कर दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में आजादी मिलने के बाद खास तौर से माइनॉरटी को आर्टिकल-30 में यह अधिकार दिया गया था कि वह आर्टिकल-30 के अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाएं कायम करे और उनको चलाए। बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक लोगों ने अपनी संस्थाएं खोलीं, जिनमें कुछ को आपने रजिस्ट्रेशन दिया और कुछ आज भी लटकी हुई हैं। बड़ी तादाद में लटकी हुई हैं। इस मुल्क में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक रहते हैं, जिनमें खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक सबसे बड़ी तादाद में हैं और वे इसका शिकार ज्यादा हैं। मुल्के के बेशतर राज्यों में कहीं-कहीं इनको मिला और कहीं-कहीं नहीं मिला। अब भी बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहीं कोर्ट में उनका मामला फंसा है, कहीं स्टेट के अंदर फंसा हुआ है, कहीं और फंसा हुआ है। आज 63 साल के बाद हमारे मुल्क की गवर्नमेंट इस पर एक विधेयक ला रही है तथा उसको आज यह सोचने का मौका मिला है कि जो अल्पसंख्यक इतनी बड़ी तादाद में रह रहे हैं उनकी शिक्षण संस्थाओं के बारे में एक बिल बनाएं। कपिल सिब्बल साहब ने जो बिल रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसमें कुछ चीजें बदलना जरूरी हैं। वह इसलिए जरूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मायूस होकर अपनी शिक्षण संस्थाओं को बंद करके, अभी जैसे नक़वी साहब ने कहा कि मदरसों की तरफ मूव कर दें।

इसलिए जब आप उनको मान्यता नहीं दोगे तो आदमी कहीं न कहीं जाएगा। इसलिए मायूस होकर बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक मुसलमान मदरसों की तरफ मूव कर गए। उसकी तालीम के बारे में भी अभी उन्होंने बताया कि वहां क्या तालीम होती है। उसमें उन्होंने आधुनिक शिक्षा का इंतजाम किया। उसके माध्यम से उन मदरसों में साइंस टीचर्स, हिन्दी टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स भी रखने का काम किया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम वे ये जानने की कोशिश तो करें कि उन मदरसों में जो आपने आधुनिकीकरण के नाम पर टीचर्स को दिया है क्या उनको वेतन भी मिल रहा है। कहीं एक साल से बाकी है, कहीं 9 महीने से बाकी है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम जिस टीचर का अपाइंटमेंट कर रहे हैं, उसको हम वेतन नहीं देंगे तो वह क्या पढ़ाएगा। इस प्रकार बड़ी तादाद में टीचर मायूस हैं। अभी सच्वर कमेटी की रिपोर्ट आई। उसमें यह स्पष्ट है कि तालीम के मामले में दलितों से भी स्थिति माइनॉरटीज की है। तो इसको अगर गंभीरता से भारत सरकार ले रही है तथा उसकी मंशा साफ है और अगर वह यह चाहती है कि हम अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं के बारे में फ़िक्रमंद हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, तो आज ऐसी संस्थाएं लाखों की तादाद में पैडिंग पड़ी हुई हैं, जो उनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई हैं, उनके द्वारा गवर्न की जा रही हैं, वे आज भी बड़ी तादाद में हैं और उनके लिए आप कमेटी बना रहे हैं। दो ही जगह तीन कर लें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें यह कहना है कि जिन राज्यों का मामला होगा उन राज्यों से भी एक नुमाइन्दा उसमें रखा जाए, ताकि वह अपने स्टेट की बात को कमेटी में सही ढंग से रख सके। इसलिए उस स्टेट से एक आदमी को अवश्य रखा जाए। जहां तक मदरसों का सवाल है, मदरसों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी। माननीय मंत्री जी को भी मदरसों की दशा के बारे में इस बिल में दरसना चाहिए था। चूंकि बड़ी तादाद में मदरसे हैं और उन मदरसों से लड़के पढ़-लिखकर समाज में अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, जिनको नौकरी के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने उर्दू-अरबी-फ़ारसी यूनिवर्सिटी बनाई, जो इस मुल्क के किसी राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने यह साहस का कदम उठाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये देकर यह यूनिवर्सिटी बनाई। उन सारे मदरसों का इससे इलहाक़ होगा, जब बच्चे मदरसों से पढ़कर निकलेंगे तो सीधे नौकरियों के लिए दरवाजे उनके लिए खुले होंगे।

एक माननीय सदस्य: बंगाल में भी खुली है।

श्री सालिम अन्सारी: बंगाल में भी खुली है तो इसके लिए आपको धन्यवाद है।...**(व्यवधान)**... इसके अलावा बिहार में भी खुल गई हैं।

इस तरह से और राज्यों में होना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब यह जो संशोधन बिल लाए हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें व्यापक रूप से मदारिस को जोड़कर और जो उनकी दशा और दिशा है, उसके बारे में गौर करके एक ऐसा कमीशन बनावें कि जो हमारे पेंडिंग विद्यालय हैं, जो सही मायनों में अल्पसंख्यकों द्वारा कायम किए गए हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है, ये बड़ी तादाद में हैं, उनकी इंकवारी कराकर, राज्य सरकारों से कंसल्ट करके बड़े पैमाने पर इसको करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman. We are always supporting the attempts by the Government for protecting the constitutional rights of the minorities which are ensured by article 30 of our Constitution. All of us are aware of the fact that various committees have pointed out that the main problem with the minority communities is their backwardness. As you know, educational backwardness is one of the main reasons for the social and economic backwardness of the minorities. Hence this issue should be addressed properly. I support clause 3 of the Bill which proposes to increase the number from two to three, if it is necessary, for the better functioning of the Minority Commission, the Minority Committee and things like that.

Sir, three or four hon. Members have already expressed their views. I would like to submit my opinion before you. We must uphold the main essence of our Constitution. We should never try to dilute the federal structure of our Constitution and this august House also should not do that.

Sir, I will be brief. In his speech the hon. Minister has stressed on two or three points as to why these amendments have become necessary. Section 12B is intended for exploring the role of the State in determining the minority status. Sir, I have seen for several months that the objective of most of the Bills prepared by the Human Resource Development Ministry is to concentrate the power in the Central Government. This Bill is also one such attempt. On subjects in the Concurrent List, the Centre and the State have the power to make laws. But a legislation on a subject in the Concurrent List, totally excluding the role of the State Government, is unconstitutional. In other words, I would like to say that the Bill is unconstitutional. I know that I am arguing before such a person not less than Shri Kapil Sibal. He is a constitutional expert. He is a legal luminary in the judicial area. Still I would like to say this point that it is an unconstitutional move on the part of the Ministry. So, I demand to retain section 12B as it is in the original Act of 2004. It is needless to say that in his initial remarks the Minister also told us about the T.M.A. Pai Foundation *versus* State of Karnataka which *inter alia* had made different observations and laid down what the role of the State Government is. This decision of the Supreme Court has made it very clear that the role of the State is very important to fulfil these conditions. I again demand to retain this section as it is in the original Act of 2004.

Another point regarding the amendments is that we are informed about the State's power under section 10, that is, granting NOC.

The Minister has said that the Government did not grant the NOC. What is the way out? Is bypassing the State Government a way out? My specific suggestion to the Government is, do not curb the power of the State Government. You can make another observation or provision that if any application is not considered within three months or six months, it would automatically be treated as NOC. I would like to say that it should be defined properly in the Bill.

My next point is regarding section 2, which is another major subject incorporated in the Bill. In the prevailing circumstances, there is no regulation for private universities. In the prevailing situation, anybody can set up a private university. It is a fact. According to article 30 of the Constitution, it is a constitutional right to administer or manage educational institutions by minorities. So far as the private universities are concerned, there is no specific rule to manage them. So need not be hasty, but you must look into it.

So far as NCME is concerned, I would like to express some practical experience of mine. What is happening at the State level? I would request the Minister to address this issue. Some people have already made a group and they are declaring themselves that they are the representatives of the NCME. They are also bypassing the State Government or any other administration. They go to any minority institution and tell them that they have come from the National Commission. I would like to site one example here. Three people went to the La Martinieri school in Kolkatta and said that they were the representatives of NCME. They are doing it. I have read in newspapers also that they have visited that school as representatives of the National Commission for Minority Education. Some people are doing wrong things and bypassing every institution. Secondly, today if we give minority status to any institution of Bengal or Kerala or any other place in the country, what will be the status of teachers and non-teaching staff? My apprehension is that the total roster would be jeopardized so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned. Thirdly, is it a fact that after this Bill is passed, in a minority dominated district, all the institutions will get the status of a minority institution? Is it a fact that there is a diversification of madrassa education throughout the country? The same madrassa is prevailing in Bengal and the north of India. There are different types of madrassas. Is it a fact that after this all the madrassas would get minority status? I fully agree with the hon. Minister that education is empowerment. So we should provide this weapon to the minority community of our country. My esteemed colleague, Shri Mukhtar Abbas, has raised this point and said that 25 per cent of the young boys or girls of this community have never stepped in in any educational institution.

So, emphasis should be given for empowerment of education of this section.

Sir, I come to my last point. Sometime ago, there was a move on the part of the Minister to establish a Central Madrasa Board. In principle, I myself was in favour of this proposal of the Minister. But, after that, there has been no move on the part of the Government in this regard. It is one of the weapons which will give education, proper and scientific education, to children who

are going to this institution. So, what is the position of that proposal which was floated on behalf of the Ministry of Human Resources Development ?

With these words, I conclude.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Bill. The National Commission for Minority Educational Institutions was constituted in 2005 by the previous U.P.A. Government, and till date, it has been functioning very successfully. Though the decisions of the NCMEI are recommendatory in nature to both the Central and State Governments, it has been functioning very effectively.

I would like to recall here quite happily that I had the privilege of being a member of the Commission representing the Christian Minority. Though the membership was for a very short period, I had to resign it to become a Member of this august House. I could realise some practical difficulties of the Commission in implementing some of the provisions of the NCMEI Act. Hence this Amendment Bill has been proposed after taking into careful consideration so many Supreme Court rulings and also some other relevant points.

Firstly, it is proposed that the definition of the Minority Educational Institution can be newly defined by omitting the words "other than a University" and by substituting the words 'establish and administer' for the words 'established or maintained'. This proposed Amendment is clear in nature and classificatory as well. Hence I support this Amendment. Then, comes the Amendment for increasing the number of members from two to three. Considering how well they fare in the Commission, I welcome this Amendment. I heartily congratulate the pro-minority UPA Government for setting up this separate Commission for the redressal of minority educational institutions all over India separately. Under the able chairmanship of Justice M.S.A. Siddique, the Commission is performing very well. Whenever a minority educational institution in any State, except, of course, J&K, is aggrieved of any rights, they can approach the NCMEI like a civil court. This is a cost free mechanism for giving relief to minority educational institutions. Therefore, there is no need to appoint an advocate or anybody to plead their case. Aggrieved institutions can represent themselves before the Commission. The Commission has disposed of all the 373 cases that came in 2005. In 2006, out of 2074 cases, 2069 cases were cleared. In 2007, all the 1096 cases were cleared. In 2008, out of 1648, 1617 cases were cleared. In 2009, out of 1,833 cases, 1,471 cases were cleared. In 2010, that is, the current year, out of 1,231 cases, 403 cases have been cleared. In view of the best performance given by the Commission in redressing minority educational institutions, the increase in the number of members is highly justifiable. But, Sir, article 30 of the Constitution applies to both religious and linguistic minorities. Hence linguistic minorities must also be brought under the ambit of the Commission. The Joint Parliamentary Committee has also recommended this point. The number

of members may further be increased considering that linguistic minority should also be brought under this ambit.

Further Amendment is for sub-section 1 of Section 10. A bare reading of this Section gives an impression that a N.O.C. is required for establishment of any minority educational institution. But the fact is that it is not so. We have the case of the *State of Maharashtra versus Sant Dynaeshwar Shikshan Sanstha Mahavidyalaya* and Others.

It has been held by the Supreme Court in this case that so far as coordination and determination of standards for education and research in scientific and technical institutions are concerned, the subject is exclusively covered by Entry 66 of List I of Schedule VII to the Constitution and the State has no power to encroach upon the legislative power of the Parliament. In such cases, NOC is not required from the State Government. Therefore, the words "subject to such law, as may be made by the appropriate Government" have been added. This is also a welcome amendment, Sir.

The next amendment relating to sub-section 4 of section 12(b) is that the words "and in consultation with the State Government" shall be omitted. A bare reading of this amendment sounds as if this is depriving the rights of the State Government. I am from Tamil Nadu and our Chief Minister and the leader of our party has always fought for the rights of the State and the minorities as well. A clear reading of this amendment is required. If an appeal provided under section 12B is to be decided with the consent or concurrence of the State Government, then, that procedure will be offending the principles of natural justice, as the hon. Minister has rightly pointed out here. It virtually takes away the substantive right of appeal created in favour of an aggrieved party. As a result, the appeal will depend not on the merits of the case, but on the consent of the respondent and that would result in gross injustice to the appellant. It is hardly likely that that was the intention of the Legislature, as such an interpretation would lead to absurdity or injustice to one of the parties in the proceedings.

The aforesaid expression also leads to an inference that what the Parliament had given with one hand is taking away with the other. Since the expression "and in consultation with the State Government" completely destroys the right of appeal created in favour of the aggrieved party, it is appropriate to delete this expression. Hence, this is a suitable amendment, Sir.

Before concluding, I would like to bring something to the notice of this august House, as a previous member of this commission. The orders are all passed well in time by the Commission, but 90 per cent of the orders are being executed by the State Governments and there are certain States which do not follow them. I propose that further amendments must be brought to ensure that the orders that are passed by the Commission are also acted upon. In other words, I would say that Constitutional status needs to be conferred upon this Commission considering that this Commission has been functioning well. With this, I would like to welcome all the amendments.

श्री किशोर कुमार मोहन्ती (उड़ीसा): उपसभापति महोदय, आज “The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2010” में जो चार amendments आए हैं, उनके कुछ बिन्दुओं पर मैं टिप्पणी करूँगा।

महोदय, मंत्री जी ने कहा कि एजुकेशन स्टेट का subject है। यह एक सही बात है, लेकिन इसमें जो amendments आए हैं, इन्हें स्टेट के विरुद्ध लिया है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कोई भी कमिशन या नेशनल कमिशन बैठता है तो उसमें कुछ ऐसे subjects आते हैं जिनमें केंद्र को more powerful करने के लिए या कमिशन को more powerful करने के लिए subject में amendment लाया जा रहा है।

सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन किस हालत में पकड़े गए थे यह आप भी जानते हैं और सारा हिन्दुस्तान भी जानता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे भारतवर्ष को अच्छी शिक्षा देने के लिए यू.जी.सी. फॉर्म किया था। उसमें भी सारे भारतवर्ष में बहुत सी deemed universities खुल गईं, जो vague थीं। वे भी यू.जी.सी. के कार्यक्रम पर उँगली उठाती हैं।

सर, यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि अगर work-load बढ़ गया था और दो की जगह तीन मैम्बर्स कर देने से वह work-load घट जाएगा, तो यह किस तरह का amendment है? जहाँ पर ये educational institutions बनाए जाएँगे, minority communities के institutions बनाए जाएँगे, वहीं की सरकार को आप बोलेंगे कि उनको कुछ अधिकार नहीं है। जहाँ पर वे बिल्डिंग बनाएँगे और जहाँ से उनको No Objection Certificate लाना है, उनको आप बोलेंगे कि उनको No Objection Certificate की कोई दरकार नहीं है।

जब वे नेशनल कमिशन के पास अपील में आएंगे तो वहाँ पर पार्टी होंगे। यह किस तरह का अमेंडमेंट है? अगर एक स्टेट के ऊपर केन्द्र को भरोसा नहीं है तो फेडरल स्ट्रक्चर में यह एक बहुत ही विरोधाभासी बात है। स्टेट और सेंटर का रिलेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। किसी स्टेट की जो कार्य प्रणाली है, उस पर केन्द्र का उँगली उठाना अनुचित है। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, अगर हम स्टेट का विश्वास नहीं रखेंगे और स्टेट में जो भी लेजिस्लेचर हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उस पर केन्द्र को विश्वास नहीं होगा तो आने वाले दिन में यह फेडरल स्ट्रक्चर के लिए परेशानी है। सर, यह danger है। इसी कारण, यह जो अमेंडमेंट हमारे मंत्री जी लाए हैं कि इसमें केन्द्र से consultation करने की दरकार नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि जब भी किसी भी चीज़ पर कोई भी अमेंडमेंट आए, अगर किसी भी clarification की दरकार है तो वे स्टेट से clarification ले सकते हैं। वहाँ उनके consultation के जरिए no objection लाएँ। अगर no objection लाएँगे और अगर वह बाद में अपील में आता है अथवा स्टेट गवर्नमेंट no objection नहीं भी देती है, तो उनको वहाँ पर बुलाकर इस बात की query की जा सकती है कि आपने no objection क्यों नहीं दिया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि उनसे consultation की दरकार ही नहीं है, तो इसमें naturally स्टेट की जो पावर है, उसको हम लोग override कर रहे हैं, इससे यह बात समझ में आती है।

मैं यही चाहूँगा कि जो ये दो-तीन बिन्दु हैं, उन पर मंत्री जी अगर सही तरीके से अमेंडमेंट लाए होते तो हमें उनका समर्थन और सहयोग करने में कोई दुविधा नहीं होती। आप दो मैम्बर्स से बढ़ाकर तीन मैम्बर्स करने के लिए यह जो अमेंडमेंट लाए हैं और जैसा आपने अपने भाषण में बताया कि वर्कलोड कम करने के लिए दो से तीन मैम्बर्स किये हैं, तो उसको आप पांच मैम्बर्स कर दीजिए, इससे वर्कलोड और भी कम हो जाएगा। उसमें क्या है? जब आप अमेंडमेंट ला रहे हैं तो दो से तीन क्यों, दो से चार-पाँच क्यों नहीं हो सकता है? इसमें यह चीज़ होनी जरूरी थी। मंत्री जी अगर यह बिल सही मंशा से लाये हैं, तो मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकारों का जो अधिकार है, उसके ऊपर कोई encroachment न किया जाए। मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am mentioning only two points. One is, this amendment Bill is an encroachment on the rights of the States. As you know, education was a State-subject. In 1975, it became a subject under the Concurrent List. After that, there is a deliberate attempt on the part of the Union Government to grab the rights of the States. This move is the latest one. Honorable Minister has explained that the States can make a law to determine criteria but in practice it is not happening; the competent authority is the State Government. But, in the law, it is specifically stated that the National Commission for minority institutions will decide the minority status of an educational institution. It is under section 12(b) of the Act. The final authority is the Commission. If there is some dispute in dealing with the appeal, it is said that you need not have even to consult the State Government! You are not ready even to consult, to take an opinion of the State Governments. That is against the spirit of federalism and is against the ruling of the Supreme Court. You have quoted the judgment of T.M.A. Pai case. In the T.M.A. Pai case, the Supreme Court has stated that you have to take the State as a unit in determining the status of minority. So, it is a deliberate attempt to deprive the right of the States and over-concentrate the powers in the hands of the Central Government. It is detrimental to our federal structure.

So, I oppose that amendment, and you have to delete that clause. Sir, my next point is concerning the university. It is about minority status to a university. As the hon. Minister himself has stated that, as it is now, there is no private university in our country. Only Central Universities, State Universities and Deemed universities, and the private universities which came before our Independence. Now, you want to open it. We know that we are in an atmosphere of privatization and commercialization of the educational sector, and this is a part of it. So, you want to open private universities in the name of minority community. You have said that the amendment is the result of an evaluation of the four or six years of the implementation of the Act. Then, we have to assess how this Act has benefited the minority community. ...*(Time-bellring)*... Just one minute, Sir. Of course, it is a lofty ideal; I do not object to it, and we have to give more and more facilities to the minorities. But, there is a provision in the Bill which says that minority status is determined, if it is run by a member of a minority community, not by societies. There are very good organizations, voluntary organizations and societies which run minority educational institutions, and we support it fully. But, when it comes to a person, if he happens to be a member of a minority community, then all the facilities and all the protection of this Bill goes to him. So, we have to revisit the Bill. The criteria must be the percentage of students are from the minority community, and that too from the economically backward sections of that community. Then only we can achieve the aims of this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Achuthan.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir, we cannot see so many Sir Sayyed Ahmed Khans in this era.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have taken more than the time allotted to you.

SHRI M.P. ACHUTHAN: There are some rich people who open universities and educational institutions for profit. So, be guarded against them. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the next speaker.

SHRI M.P. ACHUTHAN: As for enhancing the number, you can have five or seven, as the Standing Committee has recommended. I do not object to it.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिम बंगाल): मोहतरम डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। National Commission for Minorities Educational Institution Act के बारे में जो तरमीमी बिल हमारे वजीरे मोसूम ने पेश किया है, उसके बारे में अभी विपक्ष की तरफ से जो पहली आवाज उठी थी, उसमें यह था कि यह बिल बहुत confuse करने वाला है। मैं यह समझता हूँ कि वे या उनके जैसा सोचने वाला जो कोई भी हो, वह खुद बहुत बड़े confusion में मुब्तला है। बात दरअसल यह है कि यह जो कमीशन बना है, यह सिर्फ religious minorities के लिए नहीं बना है, बल्कि इसमें कोई भी minorities शामिल हो सकती हैं, चाहे वे religious minorities हों या linguistic minorities हों। मजहबी अक्लियत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की बहुत सी अक्लियतें हैं। उसी तरह से जो linguistic minorities हैं, देश के eastern region में चले जाइए, वहां जो हिन्दी बोलने वाले हैं या हमारे बंगाल में जो हिन्दी भाषी हैं, अगर वे वहां पर कोई हिन्दी मिडियम में स्कूल कायम करना चाहेंगे, तो वे वहां linguistic minorities हैं। हमारे बंगाली भाई, जो यूपी या बिहार में आकर बसे हुए हैं, अगर वे बंगाली मिडियम में कोई स्कूल कायम करना चाहें, तो वह वहां linguistic minorities हैं।

यह जो कमीशन है, यह तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर करने के लिए है। लेकिन बात दरअसल यह है कि कुछ लोगों के अंदर एक आदत पड़ गयी है कि अगर लफ्ज़-ए-माइनॉरिटी आएगा तो उनके सीने के ऊपर सांप लौटने लगता है, कुछ लोगों के अंदर यह खसलत पैदा हो गयी है। अभी हमारे दोस्त यहां से चले गए हैं, वे बहुत से शेर सुना रहे थे। मैं भी उन्हें एक शेर सुना सकता हूँ और वह यह है कि:

लाख हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगु,
बनती नहीं है बाद-ओ-सागर कहे बगैर।

बात कहीं से चली थी, लेकिन वह मदरसों तक लाकर जोड़ दी गयी और जो कुछ उन्हें उसके ऊपर तज्करा और तबख़रा करना था, वह उन्होंने किया। इसका मदरसों से कोई ताल्लुक नहीं है, मदरसे के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, वे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं - न उनके लिए किसी एनओसी की जरूरत है, न उनका कोई मसला है - उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अर्ज करने का मकसद यह था कि पहली बात तो यह साफ हो जानी चाहिए कि इसमें कोई confusion नहीं है, यह बिल और इसका यह अमेंडमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अर्ज सिर्फ यही करना है कि अभी हमारे वज़ीर-ए-मोहतरम ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड रीजंस में जो कुछ बतलाया है और उसमें उन्होंने other than university का जो ओरिजनल बिल में से साक़ित कर दिया है, अगर इस तब्दीली के बाद इसका फायदा जामिया मिलिया इस्लामिया के अक्लियती किरदार को बहाल करने में मदद कर सकता है तो मैं वज़ीर-ए-मोसूफ को अभी पेशगी बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरे मुल्क की जितनी हमारी मिल्लत-ए-इस्लामिया है, उसकी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर इससे यह मकसद पूरा नहीं होता है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मसले के ऊपर वे दुबारा गौर फरमाएं। सर, मैं एक आखिरी बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सेक्शन-10 पर काफी बहस हो रही है। जो no objection certificate लेने की बात है, मैं वज़ीर-ए-मोहतरम साहब से यह मालूम करना चाहता हूँ, उनका गोश-ए-गुज़ार करना चाहता हूँ, उनसे मेरी गुजारिश है कि आर्टिकल-30 में मेरा जो फंडामेंटल राइट है, उसमें तो मुझे कहीं मजबूर नहीं किया गया था कि जब तक मुझे कहीं से no objection certificate नहीं मिलेगा, मैं अपना कोई तालीमी इदारा कायम नहीं कर सकता। यह मेरे फंडामेंटल राइट के ऊपर restriction कायम करना है, यह उसके ऊपर हाथ डालने वाली बात है - चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हाथ डाले या सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ डाले। आपने उसका रास्ता खोला है, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा किया है कि

मुखتلاف ریاساتوں میں ان کے جو تالیمی اذرا دے ہن، بیس-بیس، تیس-تیس سال سے وے اذرا دے چل رہے ہن، سکول چل رہے ہن، مچبور ہوکر دوسرے سکولوں میں، جو affiliated ہن یا recognized ہن، وھاں چاکر انکو اپنے بچوں کو ازمیٹھان میں بیٹھانا پڑتا ہے۔ یھ جو موسیبت خذی کر دی گئی ہے، کھاں سے مےرے اکر یھ موسیبت لاگو کرکے restriction لاگائی جا رہی ہے، پا بندی لاگائی جا رہی ہے کی پہلے میں no objection certificate لےکر آاں۔ میں کوئی شرا بھانا یا بار تھوڑے ہی خول رہا ہوں، میں کوئی چو کا اڈھا تھوڑے ہی خول رہا ہوں، میں سکول کا یام کرنا چاھتا ہوں، اس کے لیے کھا موسیبت اذرا دے لےنی پڑے گی؟ موسیبت constitution اذرا دے رہا ہے، آپ اپنی choice کو کا یام کرتے ہن، as a minority. چاھے میں religious ہوں، linguistic minority ہوں۔ لیکن سرکار یھ کھ رہی ہے، سٹےٹ کی سرکار یھ کھ رہی ہے کی پہلے آپ ہم سے سرفٹیفیکےٹ لیجیے۔ It is to the pleasure and mercy of that State Government. Where is my fundamental right? اسکا متل ب اکر وے دے گے، if they say, 'Yes', then, it is all right; if they say, 'No' تب موسیبت یھاں مکرکچ میں اس کمیشن کے پاس آنا پڑے گا۔ ہم شکرگوچار ہن کیوں کی رے ویا یھی ہے۔ بھوت سٹا یا ہے، بھوت پریشان کیا ہے اور اسکی وچھ سے ماڈنارٹریج کو اچوکیشن hamper ہوی ہے۔ ہمارے دوست یھاں پر ہمیں بھوت کھ بھرا-بھلا سونا کر چلے گے ہن کی ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے، مین سٹریم میں نہیں داخیل ہو سکتے۔ انکا راستا تو سرکاروں نے روک رکھا ہے، اکر وے اپنے تالیمی اذرا دے کا یام کرتے ہن تو آپ انکو پڑھنے کی اذرا دے نہیں دے رہے ہن۔ آپ بول رہے ہن کی ہم آپکو اذرا دے نہیں دے گے۔ پہلے آپ ہم سے پر میشن لیجیے، تب آپ سکول خول سکتے ہن۔ یھ تو لائسنس دےنے والی بات ہے کی ہم آپ سے لائسنس لےنے چاہے۔ Where is my fundamental right? آرٹیکل-30 ختم ہے، اسکو رگ کر رہے ہن۔ مےری گوجاریشن یھ ہے کی اس بات کو بھی چرر پش-ا-نچر رکھا چاے۔ اکر دھن چل رہا تھا، ریاساتی ہکومتوں نے اکر موسیبت لاگ رکھی تھی، اسکا آپ نے اکر راستا نکالا ہے۔ میں وچیر-ا-موسم کا اس کے لیے شکریا ادا کرتا ہوں۔ اس بات کو چرر دھان میں رکھنا چاہیے کی مین سٹریم کی جو بات کی جاتی ہے، اس ملک کی تمام اکرلی یٹیں پوری ترھ سے مین سٹریم میں داخیل ہن، چاھے وے مدرسوں میں پڑھ رہی ہوں، سکولوں میں پڑھ رہی ہوں یا کالےجوں میں پڑھ رہی ہوں۔ اکر بات یاد رکھنی چاہیے کی ان مدرسوں سے ہمارے ملک کی اچرا دی کے لیے سپاھی نکالے ہن جنہوں نے اپنی جانیں نچو اھر کی ہن، فاسیاں پائی ہن، کالے پانی کی سچا اے کاٹی ہن۔ آج انکو اس ترھ سے بدنام کیا جا رہا ہے کی وھاں سے کڈر پٹھی اور آتک وادی نکالے گے۔ اسی بات کھنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں اس بیل کا پورے تھے-دیل سے اذرا دے کرنا چاھتا ہوں، اسکا سوا گت کرتا ہوں اور وچیر-ا-موسم کو مبارک باد دے تا ہوں۔ آخیر میں میں یھی کھنا چاھتا ہوں کی چامیا میلیا اذرا دے کے بارے میں وے اکر اس میں اس بات کو لا سکتے ہن تو اس کے اکر گور فرما اے۔ بھوت-بھوت شکریا۔

جناب احمد سعید ملیح آبادی (مغربی بنگال) : محترم ڈپٹی چیئرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔

National Commission for Minorities Educational Institution Act کے بارے میں ترمیمی بل ہمارے وزیر موصوف نے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی وپکش کی طرف سے جو پہلی آواز اٹھی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ بل بہت کنفیوژ کرنے والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یا ان کے جیسا سوچنے والا جو کوئی بھی ہو، وہ خود بہت بڑے کنفیوژن میں مبتلا ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے، یہ صرف religious minorities کے لئے نہیں بنا ہے، بلکہ اس میں کوئی بھی مائنارٹیز شامل ہو سکتی ہیں، چاہے وہ linguistic minorities ہوں یا religious minorities ہوں۔ مذہبی اقلیت میں صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دیش کی بہت سی اقلیتیں ہیں۔ اسی طرح سے جو minorities ہیں، دیش کے eastern region میں چلے جائیے، وہاں جو بندی بولنے والے ہیں یا ہمارے بنگال میں جو بندی بھاشی ہیں، اکر وہ وہاں پر کوئی بندی میٹیم میں اسکول قائم کرنا چاہیں گے، تو وہ وہاں linguistic minorities ہیں۔ ہمارے بنگالی بھائی، جو یوپی۔ یا

† [Transliteration in Urdu Script]

بہار میں آکر بسے ہوئے ہیں، اگر وہ بنگالی میڈیم میں کوئی اسکول قائم چاہیں، تو وہ وہاں linguistic minorities ہیں۔ یہ جو کمیشن ہے، یہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے کہ اگر لفظ 'مانٹارٹی' آنے گا تو ان کے سینے کے اندر سائپ لوٹنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک خصلت پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے دوست یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ بہت سے شعر منا رہے تھے۔ میں بھی انہیں ایک شعر سنا سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ :

لاکھ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر

بات کہیں سے چلی تھی، لیکن وہ مدرسوں تک لاکر جوڑ دی گئی اور جو کچھ انہیں اس کے اوپر تبصرہ اور تذکرہ کرنا تھا، وہ انہوں نے کیا۔ اس کا مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدرسے کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ وہ مانٹارٹی انسٹی ٹیوشن ہے۔ نہ ان کے لئے کسی این۔اوسی۔کی ضرورت ہے، نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ صاف ہونی چاہئے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ بل اور اس کا یہ امینڈمینٹ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ ابھی ہمارے وزیر محترم نے اسٹیٹمینٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریجنس میں بتلایا ہے اور اس میں انہوں نے other than University کا جو اورجنل بل میں سے ساقط کر دیا گیا ہے، اگر اس تبدیلی کے بعد اس کا فائدہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کو بحال کرنے میں مدد کر سکتا ہے تو میں وزیر موصوف کو ابھی پیشگی بہت ہی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پورے ملک کی جتنی ہمارے ملت اسلامیہ ہے، اس کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کے اوپر وہ دوبارہ غور فرمائیں۔

سر، میں ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیکشن-10 پر کافی بحث ہو رہی ہے۔ جو no objection certificate لینے کی بات ہے، میں وزیر محترم صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، ان کو گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ آرٹیکل-30 میں میرا جو فنڈامینٹل رائٹ ہے، اس میں تو مجھے کہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ جب تک مجھے کہیں سے no objection certificate نہیں ملے گا، میں اپنا کوئی تعلیمی ادارہ قائم نہیں کر سکتا۔ یہ میرے فنڈامینٹل رائٹ کے اوپر ریسٹرکشن قائم کرنا ہے، یہ اس کے اوپر

ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہاتھ ڈالے یا سینٹرل گورنمنٹ ہاتھ ڈالے۔ آپ نے اس کا راستہ کھولا ہے، ہم اس کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیوں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں اتنا پریشان کیا ہے، اقلیتوں کو اتنا پریشان کیا ہے کہ مختلف ریاستوں میں ملک کے جو تعلیمی ادارے ہیں، بیس-بیس، تیس-تیس سال سے وہ ادارے چل رہے ہیں۔ مجبور ہو کر دوسرے اسکولوں، جو affiliated ہیں یا recognized ہیں، وہاں جاکر ان کو اپنے بچوں کو امتحان میں بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ جو مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے، کہاں سے میرے اوپر یہ مصیبت لاگو کر کے ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے، پابندی لگائی جا رہی ہے کہ پہلے میں no objection certificate لیکر آؤں۔ میں کوئی شراب خانہ یا بار تھوڑے ہی کھول رہا ہوں، میں کوئی جوئے کا آڈہ تھوڑے ہی کھول رہا ہوں، میں اسکول قائم کرنا چاہتا ہوں، اس کے لئے کیا مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ مجھے کانستٹی ٹیوشن اجازت دے رہا ہے، آپ اپنی جوائنس کو قائم کرتے ہیں، as a minority۔ چاہے میں ریلیجنس ہوں، یا linguistic minority ہے۔ لیکن سرکار یہ کہہ رہی ہے، اسٹیٹ کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ ہم سے سرٹیفکٹ لیجئے۔ It is to the pleasure and mercy of that State۔ Government. Where is my fundamental right? اس کا مطلب اگر وہ دیں گے، it they say, 'Yes', then, it is all right; if they say, 'No' کمیشن کے پاس آنا پڑے گا۔ ہم شکر گزار ہیں کیوں کہ رویہ یہی ہے۔ بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے اور اس کی وجہ سے مائنارٹیز کو ایجوکیشن ہیمر ہونی ہے۔ ہمارے دوست یہاں پر ہمیں بہت کچھ برا بھلا سنا کر چلے گئے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے، مین اسٹریم میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ان کا راستہ تو سرکاروں نے روک رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں تو آپ اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہیں ہیں۔ آپ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت ہی نہیں دیں گے۔ پہلے آپ ہم سے پرمشن لیجئے، تب آپ اسکول کھول سکتے ہیں۔ یہ تو لائسنس دینے والی بات ہے کہ ہم آپ سے لائسنس لینے جائیں۔ Where is my fundamental right? آرٹیکل-30 ختم ہے، اس کو غرق کر رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس بات کو بھی ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ ایک دھندہ چل رہا تھا، ریاستی حکومتوں نے ایک مصیبت لگا رکھی تھی، اس کا آپ نے ایک راستہ نکالا ہے۔ میں وزیر موصوف کا اس کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہئے کہ مین اسٹریم کی جو بات کی جاتی ہے، اس ملک کی تمام اقلیتیں پوری طرح سے مین اسٹریم میں داخل ہیں،

چاہے وہ مدرسوں میں پڑھ رہی ہوں، اسکولوں میں پڑھ رہی ہوں یا کالجوں میں پڑھ رہی ہوں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہئے کہ ان مدرسوں سے ہمارے ملک کی آزادی کے لئے سپاہی نکلتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جائیں نہجھاور کی ہیں، پھانسیاں پائی ہیں، کالے پانی کی سزائیں کاٹی ہیں۔ آج ان کو اس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہاں کٹر پنٹھی اور آتک وادی نکلتے ہیں۔ ایسی باتیں کہنے والوں کو شرم آنی چاہئے۔ میں اس بل کا پورے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اس کا سواگت کرتا ہوں اور وزیر موصوف کو مبارکباد دیتا ہوں۔

آخر میں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بارے میں وہ اگر اس میں اس بات کو لا سکتے ہیں تو اس کے اوپر غور فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔

(ختم شد)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Further discussion on the Minority Educational Institutions Bill will continue later.

Now, we will take up the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill. The debate was over. Now, the hon. Minister will reply and then we will take up Clause-by-Clause consideration.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal) : Sir, there are amendments.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am giving reply to the debate, including the amendments. Sir, Brindaji is such a nice lady that she would not press for amendments.

The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Bill, 2010

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful for the keen interest evinced in this House on the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Bill. As many as eighteen Members have participated in the discussion on the Bill. They have raised a wide area of issues. Shri Natchiappan eloquently brought out the salient features of the Bill. He got, since it was his maiden speech, got the maximum time. The concerns voiced by the hon. Members were generally as under:—

1. The Bill is oriented more towards registration of clinical establishments with hardly any provision for their regulation.

I am reminding you what all you spoke yesterday.

2. Rates and charges for services provided by clinical establishments and need to be notified by the Government.